

# अंतिम डिक्री वमुकदमे इव्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाच्चा दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

बलदीप कौर उर्फ परमजीत कौर वनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 126/2021

निर्णय दिनांक :- 18.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिमाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
मली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76  
के खाता संख्या 10/09 में क्रम संख्या 3 पर दर्ज नाम बलदीप कौर पुत्री सुलखन सिंह के स्थान  
पर बलदीप कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री सुलखन सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।  
इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 18.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री कृष्णपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 459  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री कृष्णपुर

दिनांक: 18/11/21

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री कृष्णपुर